प्रेस नोट दिनांक 29.12.2025

थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़

हत्या का प्रयास व मारपीट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों 1. बृजेश कुमार पासी व 2. कामताप्रसाद को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कोराली मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण -
दिनांक 19.10.2025 को ग्राम कोराली थाना नवाबगंज में वादी व उनके भाई व परिजनों को आरोपीगणों द्वारा गालियाँ देते हुए जान से मारने की नीयत से लाडी-डंडा, कुल्हाड़ी, धारदार हथियार, व लोहे की राड से जान से मारने की नियत से मारपीट की गई। इस संबंध में थाना नवाबगंज में मु0अ0स0 168/25 धारा 190/191(2)/191 (3)/109 (1)/115 (2) 1352/351 (3)/3(5) बीएनएस बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में व0उ0नि0 राजनारायण सिंह मय हमराह का0 नवीन यादव, का0 दुर्वीन कुमार, का0 राम जी यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 168/25 धारा 190/191(2)/191 (3)/109 (1)/115 (2) 1352/351 (3)/3(5) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से 02 अभियुक्तों 1. बृजेश कुमार पासी पुत्र कामताप्रसाद, 2. कामताप्रसाद पुत्र स्व0 सैतूराम निवासीगण ग्राम कोराली थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कोराली मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. बृजेश कुमार पासी पुत्र कामताप्रसाद निवासी ग्राम कोराली थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. कामताप्रसाद पुत्र स्व0 सैतूराम निवासी ग्राम कोराली थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
व0उ0नि0 राजनारायण सिंह मय हमराह का0 नवीन यादव, का0 दुर्वीन कुमार, का0 राम जी यादव थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त गिरफ्तार

स्पेशल टीम द्वारा पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में स्पेशल टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त की गई। दिनांक 28.12.2025 को थाना कोतवाली नगर के मु0अ0सं0 669/25 धारा 261/262 बीएनएस से संबंधित पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त जावेद उर्फ चाँद बाबू पुत्र स्व0 वारिस अली, निवासी उयाडीह, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत आजाद नगर मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त पूर्व में पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। मुखबिर की सटीक सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त थाना पट्टी के मु0अ0सं0 361/25 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट (पुलिस मुठभेड़) से भी संबंधित है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था सामान्य है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :
निरीक्षक मो0 इबरार अंसारी
निरीक्षक अर्जुन सिंह (प्रभारी स्पेशल टीम)
उपनिरीक्षक लक्ष्मीकान्त सेंगर
कां0 बृजेश सिंह
कां0 सुनील यादव
कां0 वीरेन्द्र यादव
कां0 संजय सिंह
सर्विलांस सेल टीम,
(चालक – हे0का0 कमलेश यादव)

थाना रानीगंज, जनपद- प्रतापगढ़

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत बुढ़ौरा कुम्भापुर के पास पुलिस चेकिंग के दौरान थाना रानीगंज पुलिस से हुई, मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त मिथलेश केसरवानी के दाहिने पैर में लगी गोली व एवं अन्य 02 अभियुक्त लवकुश यादव व पवन यादव पुत्रगण शिवकुमार को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त मिथलेश केसरवानी के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व चन्दीगोविन्दपुर विद्यालय से चोरी का सामान व घटना में प्रयुक्त बैगनार गाड़ी बरामद किया गया है।

दिनांक 22.12.2025 को चंदी गोविंदपुर के सरकारी स्कूल में अभियुक्तों द्वारा रात्रि में चोरी की गई थी। इस सम्बन्ध में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 459/2025 धारा 305(ई), 331(4) बीएनएस का पंजीकृत अभियोग किया गया था उसी मुकदमें से संबधित वांछित अभियुक्त थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित की गई थी। जिसके क्रम में आज दिनांक 29.12.2025 को रात्रि को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के नेतृत्व मे थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास से प्राप्त सूचना पर, थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत बुढ़ौरा कुम्भापुर के पास चेकिंग के दौरान, बैगनार गाड़ी सवार अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी, आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त मिथलेश केसरवानी पुत्र गया प्रसाद केसरवानी निवासी ग्राम हरवंशपुर थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज जो वर्तमान समय मे मीरा भवन थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ (उम्र करीब 38 वर्ष) के दायें पैर में लगी गोली एवं अन्य 02 अभियुक्तों 01. लवकुश यादव 02. पवन यादव पुत्रगण शिवकुमार यादव निवासी ग्राम जामताली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को मौके से गिरफ्तार किया गया है। तथा 01 बदमाश जदरथ उर्फ जय प्रकाश यादव निवासी ग्राम दिघवट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ मौके से भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भाग गया जिसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जायेगा। घायल अभियुक्त मिथलेश केसरवानी उपरोक्त को चिकित्सकीय ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया है।

अभियुक्त मिथलेश केसरवानी उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं अभियुक्तों लवकुश व पवन से उपरोक्त के कब्जे से विद्यालय से चोरी किया गया सामान व चोरी की घटना में प्रयुक्त एक बैगनार कार नम्बर यूपी 70एई 4906 बरामद किया गया है। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खोजा जा रहा है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-
01. मिथलेश केसरवानी पुत्र गया प्रसाद केसरवानी निवासी ग्राम हरवंशपुर थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज जो वर्तमान समय मे मीरा भवन थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ (उम्र करीब 38 वर्ष)

02. लवकुश यादव शिवकुमार यादव निवासी ग्राम जामताली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ (उम्र करीब 28 वर्ष)
03. पवन यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी ग्राम जामताली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ (उम्र करीब 23 वर्ष)

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-
1- मिथिलेश केसरवानी उर्फ बाबा पुत्र स्वर्गीय गया प्रसाद केसरवानी निवासी हरबंसपुर थाना फूलपुर जनपद प्रतापगढ़
1.मु0अ0स0 502/15 धारा 380 457 थाना फूलपुर
2.मु0अ0स0 01/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज
3.मु0अ0स0 76/21 धारा 4/5 exps एक्ट थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज

2- लवकुश यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी चुंगी जामताली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
1.मु0अ0स0 209/17 धारा 147/148/149/307/323/504/506 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीमः-
निरीक्षक प्रभात कुमार सिंह, उप निरीक्षक कामता प्रसाद उप निरीक्षक सुरेंद्र यादव, उप निरीक्षक राज नारायण यादव, आ0 रुद्राक्ष चौबे,आ0 मुकेश पटेल, आ0 आशीष तिवारी, आ0 संतोष कुमार सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत डाक बंगला अठेहा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी की पुत्री से दहेज की मांग को लेकर आरोपीगणों द्वारा हत्या कर देने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना उदयपुर में मु०अ०स०-178/2025 धारा 80/85/61(2) BNS व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना उदयपुर प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 अजीत

कुमार यादव मय हमराह का0 अनिल कुमार, म0का0 शिखा गौतम द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०स०-178/2025 धारा 80/85/61(2) BNS व 3/4 डीपी एक्ट थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01अभियुक्त सुमित पुत्र दूधनाथ उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत डाक बंगला अठेहा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. सुमित पुत्र दूधनाथ उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अजीत कुमार यादव मय हमराह का0 अनिल कुमार, म0का0 शिखा गौतम थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।